

उत्तर प्रदेश शासन
नगर विकास अनुभाग-1
संख्या-2511/9-1-2020-15टी.ए./20
लखनऊ : दिनांक 20 दिसम्बर, 2020

अधिसूचना

चूँकि, उत्तर प्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1916 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 2 सन् 1916) की धारा 4 की उपधारा (1) की अपेक्षानुसार नगर पंचायत चौक, जिला महाराजगंज का गठन करने के लिये नीचे अनुसूची में उल्लिखित क्षेत्र को संक्रमणशील क्षेत्र विनिर्दिष्ट करने की अधिसूचना जारी करने हेतु आपत्तियाँ और सुझाव आमंत्रित करने की दृष्टि से अधिसूचना संख्या-1695/9-1-2020-15टी0ए0/20, दिनांक 20 नवम्बर, 2020 जारी करके गजट में प्रकाशित की गयी थी;

और चूँकि, कोई आपत्ति या सुझाव निर्धारित समय के भीतर प्राप्त नहीं हुआ है;

अतएव, अब, उत्तर प्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1916 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 2 सन् 1916) की धारा 3 के साथ पठित संविधान के अनुच्छेद 243-थ के खण्ड (2) के अधीन शक्तियों का प्रयोग करके राज्यपाल क्षेत्र की जनसंख्या, उनमें जनसंख्या घनत्व, स्थानीय प्रशासन के लिए जनित राजस्व, कृष्येतर कार्यकलापों में नियोजन के प्रतिशत और आर्थिक महत्व को ध्यान में रखते हुए विनिर्दिष्ट करती हैं कि स्थानीय क्षेत्र, जिसकी सीमायें नीचे अनुसूची में विनिर्दिष्ट हैं, भारत का संविधान के भाग नौ-क के प्रयोजनार्थ संक्रमणशील क्षेत्र होगा और उक्त संक्रमणशील क्षेत्र के लिए एक नगर पंचायत का गठन किया जायेगा, जिसे नगर पंचायत चौक, जिला-महाराजगंज के रूप में जाना जायेगा।

अनुसूची-1

नगर पंचायत चौक, जिला-महाराजगंज का प्रादेशिक क्षेत्र :-

क्रमांक	दिशा	ग्राम का नाम	सम्मिलित किये जाने वाले क्षेत्र की गाटा संख्याएं
1	मध्य	चौक (आंशिक)	गाटा संख्या-371 से गाटा संख्या-1801 तक
2	पूर्व	ओबरी (आंशिक)	गाटा संख्या-286 से गाटा संख्या-646 तक
		बरगदही बसन्तनाथ (आंशिक)	गाटा संख्या-218 से गाटा संख्या-646 तक
3	दक्षिण	केवलापुर कलां	गाटा संख्या-01 से गाटा संख्या-335 तक
4	पश्चिम	धरमपुर (आंशिक)	गाटा संख्या-01 से गाटा संख्या-316 तक
		टेगरहना (आंशिक)	गाटा संख्या-01 से गाटा संख्या-146 तक
		सोनाड़ी खास (आंशिक)	गाटा संख्या-02 से गाटा संख्या-398 तक


(दीपक कुमार)
प्रमुख सचिव।

संख्या-2511(1)/9-1-2020 तददिनांक

प्रतिलिपि उक्त अधिसूचना के अतिरिक्त एक अंग्रेजी प्रारूप सहित संयुक्त निदेशक, राजकीय मुद्रणालय, ऐशबाग, लखनऊ को इस आशय से प्रेषित कि उक्त अधिसूचना को दिनांक 20 दिसम्बर, 2020 के असाधारण गजट में विधायी परिशिष्ट के भाग-4 खण्ड (ख) में प्रकाशित कराकर उसकी 50-50 प्रतियां शासन को प्रेषित कराने का कष्ट करें।

आज्ञा से,

(राजेन्द्र मणि त्रिपाठी)

उप सचिव।

संख्या-2511(2)/9-1-2020 तददिनांक

प्रतिलिपि उक्त अधिसूचना के एक अंग्रेजी प्रारूप सहित निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- (1) आयुक्त, गोरखपुर मण्डल, गोरखपुर।
- (2) जिलाधिकारी, महाराजगंज को इस आशय से प्रेषित कि उक्त अधिसूचना को एक स्थानीय समाचार पत्र और राष्ट्रीय समाचार पत्र में प्रकाशित कराने का कष्ट करें।
- (3) सचिव, राज्य निर्वाचन आयोग, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
- (4) निदेशक, सूचना एवं जनसम्पर्क निदेशालय, लखनऊ।
- (5) निदेशक, जनगणना निदेशालय, भारत सरकार, अलीगंज, लखनऊ।
- (6) निदेशक, स्थानीय निकाय, उ0प्र0 लखनऊ।
- (7) निदेशक, पंचायती राज, उ0प्र0 लखनऊ।
- (8) नगर विकास विभाग के समस्त अनुभाग।
- (9) गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(राजेन्द्र मणि त्रिपाठी)

उप सचिव।

Uttar Pradesh Shasan
Nagar Vikas Anubhag-1

In pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of the Constitution of India, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of notification no-2511/9-1-2020-15T.A./20, dated December 20, 2020.

NOTIFICATION

No-2511 /9-1-2020-15T.A./20

Lucknow- Dated; December 20, 2020

WHEREAS notification no.-1695/IX-1-2020-15T.A./20, dated November 20, 2020 was issued and published in the Gazette with a view to invite objections and suggestions for issuance of notification for specifying the area mentioned in the Schedule below as the transitional area for constituting Nagar Panchayat Chowk in District Mahrajganj as required under sub-section (1) of section 4 of the Uttar Pradesh Municipalities Act, 1916 (U.P. Act no II of 1916);

AND WHEREAS, no objection and suggestion has been received within the stipulated time;

NOW, THEREFORE, in exercise of the powers under clause (2) of Article 243-Q of the Constitution read with section 3 of the Uttar Pradesh Municipalities Act, 1916 (U.P. Act no-II of 1916), the Governor having regard to the population of the area, the density of population therein, the revenue generated for the local administration, the percentage of employment in non-agricultural activities and the economic importance, is pleased to specify that the local area the limits of which is specified in the Schedule below, shall be a transitional area for the purpose of Part IX-A of the Constitution of India and there shall be constituted for the said transitional area a Nagar Panchayat to be known as Nagar Panchayat Chowk in District Mahrajganj.

SCHEDULE

Territorial area of Nagar Panchayat Chowk, District Mahrajganj :-

Sr. No.	Direction	Name of Village	Gata No. of included Area
1	Middle	Chowk (Partial)	371 to 1801,
2	East	Obri (Partial)	286 to 646
3		Bargadhi Basantnath (Partial)	218 to 646
4	South	Kevlapur kala	01 to 335
5	West	Dharampur (Partial)	01 to 316
6		Tegrahna (Partial)	01 to 146
7		Sonadi Khas (Partial)	02 to 398


(Deepak Kumar)
Principal Secretary

2